



UPAU010006442026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।

दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 46/2026

नेत्रपाल

प्रति

सुरेश गुप्ता।

दिनांक 17.03.2026

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार कराये जाने पर भी प्रार्थी नेत्रपाल अथवा उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये और न ही उनकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में इस प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है। विगत नियत दिनांक पर भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया था। अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी नेत्रपाल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 17.03.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
JO Code UP 2393